बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर)।

विज्ञापन संख्या 01/2014 दिनांकः 15.04.2014

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के विज्ञापन संख्या 03/2012 दिनांकः 02.05.2012 द्वारा विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र अंतर्गत कुल स्वीकृत 40 (चालीस) चालक पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता यथा– मैट्रिक उत्तीर्णता के साथ–साथ हल्का वाहन एवं भारी वाहन चलाने हेतु लाइसेंस तथा दो वर्ष का वाहन चलाने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित की गई थी। उक्त निर्धारित अर्हता के आधार पर प्राप्त आवेदकों में से L.M.V.+ H.M.V. अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों का Skill test सम्पन्न कराया गया था। परन्तु कुछ आवेदकों द्वारा भारी वाहन (HMV) लाईसेंस के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया तथा न्यायालय द्वारा वाद संख्या 12248/2013, 12249/2013 एवं 14828/2013 पर दिनांकः 14.03.2014 को पारित आदेश में HMV अर्हता को निरस्त कर दिया गया एवं पुनः LMV अर्हता को मापदण्ड रखते हुए विज्ञापन प्रकाशन का आदेश दिया गया। तद्नुसार पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु योग्य एवं अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है। विहित आवेदन पत्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के वेबसाईट www.bausabour.ac.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को रूपया 250/– (दो सौ पचास) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिये रूपया 100/– (एक सौ) का आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के नाम देय होगा जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, सबौर शाखा (कोड न॰ 11805) में भुगतेय होगा। आवेदन के साथ शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं रहने पर आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण–पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र तथा सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा दिनांकः 24.05.2014 तक 5 बजे संध्या तक निश्चित रूप से प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर–813210 (भागलपुर) के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा, साथ ही किसी भी परिस्थिति में बैंक ड्राफ्ट लौटाया नहीं जायेगा।

विज्ञापित पदो के लिए उम्र सीमा दिनांकः 15.04.2014 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष मान्य है।

कृ॰पृ॰उ॰

पूर्व में विज्ञापित विज्ञापन संख्या 03/2012 दिनांकः 02.05.2012 अंतर्गत चालक पद पर नियुक्ति हेतु जिन आवेदकों द्वारा ससमय आवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

रिक्त पदों का विवरणी एवं अन्य अर्हताएँ निम्न प्रकार से है :–

1. चालक (ड्राइवर)	:	40 पद (20 अना•, 07 अ•पि•व•, 07 अनु•जाति, 05 पि•व•, 01 पि•व•(महिला)
वेतनमान	:	5200–20200 + GP 2000
शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता	:	मैट्रिक उत्तीर्णता के साथ–साथ हल्का वाहन चालक (LMV) का लाइसेंस तथा दो वर्षों का वाहन चलाने का अनुभव अनिवार्य होगा।

आवश्यक शर्ते :–

1. चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के अन्दर भारी वाहन चालक (HMV) का लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
2. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने–बढ़ाने या चयनोपरान्त नियुक्ति रद्द करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को सुरक्षित है।
3. नियुक्त उम्मीदवार की सेवा, योजना समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनायें भरना आवश्यक है।
5. अन्तर्वीक्षा में भाग लेने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन उचित माध्यम से भेजना अनिवार्य है। वैसे सभी आवेदन जो उचित माध्यम से प्राप्त नहीं होगा उसे रद्द कर दिया जायेगा।
7. आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी को जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा अन्यथा आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जायेगी।

कुलपति के आदेश से,

प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति)

15/04/2014

ज्ञापांकः 01 /नियुक्ति/बि•कृ•विश्व•,सबौर   दिनांक 15/04/2014

प्रतिलिपि सभी अधिष्ठाता/निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/प्राचार्य/क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना/सह निदेशक अनुसंधान (मुख्यालय)/सह निदेशक अनुसंधान, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, अगवानपुर (सहरसा)/सभी कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र/सभी विश्वविद्यालय प्राध्यापक/सभी अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/सभी प्रभारी पदाधिकारी केन्द्र/उपकेन्द्र/सभी सूचनापट/कुलपति के सचिव को आवश्यक सूचनार्थ।

15/04/2014

प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति)